

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 1973/चैत्र 16, 1895

No. 135] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 1973/CHAITRA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 6th April 1973

S.O. 202(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 620/18A/IDRA/69, dated 14th February, 1969, the management of the industrial undertaking known as New Maneckchock Spinning and Weaving Company Limited, Ahmedabad had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order mentioned above for a period upto and inclusive of 13th February, 1970 ;

And whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in public interest so to do, by Order of the Government of India late Ministry of Foreign Trade, No. S.O. 1101, dated 13th February, 1970, directed that the aforesaid notified Order dated 14th February, 1969, shall continue to have effect upto and inclusive of 23rd March, 1970 ;

And whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in public interest so to do by Order of the Government of India, late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1101, dated 18th March, 1970, directed that the aforesaid notified Order, dated 14th February, 1969, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 9th April, 1970 ;

--'And whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in public interest so to do by Order of the Government of India, late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1364, dated 9th April, 1970, directed that the aforesaid notified order dated 14th February, 1969, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 9th April, 1971 ;

And whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in public interest so to do by Order of the Government of India, late Ministry of Foreign Trade No. S.O 1565, dated the 7th April, 1971, directed that the aforesaid notified Order dated 14th February, 1969, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 9th April, 1973;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of one year that is upto and inclusive of 9th April, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 9th April, 1974.

[N. F. 28013/35/73-Tex(G)]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1973

का० आ० 202(अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा ममवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 620/18ए/आई० डी० आर० ए०/69 दिनांक 14 फरवरी, 1969 द्वारा न्यू मानक चेक स्पनिंग एण्ड विविग कं० लि० अहमदाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उपरोक्त आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 13 फरवरी, 1970 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, जिसकी राय में ऐसा करना लोक हित में समीचीन है, भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 616 दिनांक 13 फरवरी, 1970 द्वारा निदेश दिया कि दिनांक 14 फरवरी, 1969 के उपरिर्वाणित अधिसूचित आदेश का प्रभाव 23 मार्च, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए और बना रहेगा ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, जिसकी राय में ऐसा करना लोक हित में समीचीन है, भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1101, दिनांक 18 मार्च, 1970 द्वारा निदेश दिया कि दिनांक 14 फरवरी, 1969 के उपरिर्वाणित अधिसूचित आदेश का प्रभाव 9 अप्रैल, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए और बना रहेगा ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, जिसकी राय में ऐसा करना लोक हित में समीचीन है, भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1364 दिनांक 9 अप्रैल, 1970 द्वारा निदेश दिया कि दिनांक 14 फरवरी, 1969 के उपरिर्वाणित अधिसूचित आदेश का प्रभाव 9 अप्रैल, 1971 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए और बना रहेगा ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, जिसकी राय में ऐसा करना लोक हित में समीचीन है, भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1565 दिनांक 7 अप्रैल, 1971 द्वारा निदेश दिया कि दिनांक 14 फरवरी, 1969 के उपरिर्वाणित अधिसूचित आदेश का

प्रभाव 9 अप्रैल, 1973 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए और बना रहेगा ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 9 अप्रैल, 1974 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहना चाहिए ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिखर्णीत प्रथम आदेश का प्रभाव 9 अप्रैल, 1974 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए और बना रहेगा ।

[सं० फा० 28013/35/73/टेक्स (जी)]

दिनेश किशोर सम्सेना, संयुक्त सचिव ।

